**भारत सरकार**

**रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय**

**औषध विभाग**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 849**

**दिनांक 22 दिसम्बर, 2017 को उत्‍तर दिए जाने के लिए**

**जन औषधि योजना**

**849. श्री विनय दीनू तेंदुलकर:**

 क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जन औषधि योजना को क्रियान्वित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो देश में उन जिलों की संख्या का ब्यौरा क्या है जहां इसे क्रियान्वित किया जा रहा है और इस योजना के माध्यम से उपलब्ध करवायी गई जेनरिक दवाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश भर में इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए कोई निर्णय लिया हैं; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

**उत्‍तर**

**सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय; जहाजरानी मंत्रालय और रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनसुख एल. मांडविया)**

(क): जी, हां। इस समय सरकार द्वारा एक योजना ‘प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना’ (पीएमबीजेपी) के नाम से कार्यान्वित की जा रही है।

(ख): सरकार पीएमबीजेपी के अन्तर्गत देश भर में पीएमबीजेपी केन्द्रों को खोलकर सभी राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों और जिलों को कवर करने का प्रयास कर रही है। दिनांक 15.12.2017 की स्थिति के अनुसार, देश के 578 जिलों को कवर करते हुए 33 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में 3019 पीएमबीजेपी केन्द्र कार्य कर रहे हैं। दिनांक 15.12.2017 की स्थिति के अनुसार, इस योजना की उत्पाद संख्या में सभी प्रमुख उपचारात्मक समूहों जैसे इन्फेक्टिव-रोधी, मधुमेह-रोधी, कैंसर-रोधी, हृदयवाहिका रोग, गैस्ट्रो-इन्टेस्टिनल दवाओं आदि को कवर करते हुए 647 से अधिक दवाइयां और 129 सर्जिकल और उपभोज्य मदें शामिल हैं।

..2

-2-

(ग) और (घ): जी, हां। इस योजना को देश भर में कार्यान्वित करने के उद्देश्य से सरकार ने देश भर में 3000 पीएमबीजेपी केन्द्र खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया था जिसे पहले ही प्राप्त कर लिया गया है। देशभर में इस योजना को बढ़ावा देने के लिए, सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदम इस प्रकार हैं:-

* पीएमबीजेपी केन्द्र खोलने के लिए आवेदन शुल्क माफ कर देना।
* पीएमबीजेपी केन्द्र खोलने हेतु आवेदन आमंत्रित करने के लिए देश के विभिन्न समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी करना।
* ऑफ लाइन आवेदनों के अलावा पीएमबीजेपी केन्द्र खोलने के लिए वेबसाइट अर्थात् janaushadhi.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करना।
* पीएमबीजेपी केन्द्र खोलने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों/गैर सरकारी संगठनों/ट्रस्टों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करना।
* दवाइयों, सर्जिकल और उपभोज्य मदों को शामिल करते हुए योजना की उत्पाद संख्या का विस्तार करना।
* खुदरा विक्रेताओं के व्यापार मार्जिन को 16 प्रतिशत से बढाकर 20 प्रतिशत और वितरकों के व्यापार मार्जिन को 8 प्रतिशत से बढाकर 10 प्रतिशत तक संशोधित करना।
* सरकारी अस्पतालों/चिकित्सा महाविद्यालयों के अलावा सरकारी स्वामित्व वाले किसी भी भवन के परिसरों में पीएमबीजेपी केन्द्र खोलना सक्षम बनाने के लिए योजना दिशानिर्देशों में संशोधन करना।
* सरकारी स्वामित्व वाले किसी भी भवन में पीएमबीजेपी केन्द्रों को खोलने के लिए संचालन एजेन्सियों को 2.50 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करना।
* बीपीपीआई प्रदत्त सॉफ्टवेयर के साथ जुड़े निजी उद्यमियों/फार्मासिस्टों/गैर-सरकारी संगठनों/पूर्त संगठनों द्वारा संचालित पीएमबीजेपी केन्द्रों के लिए 10,000 रुपए प्रतिमाह की अधिकतम सीमा के अध्यधीन और पूर्वोत्तर राज्यों, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के मामले में 15000 रुपए की मासिक अधिकतम सीमा के अध्यधीन मासिक बिक्री का 15% की दर से 2.5 लाख रुपए तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।
* कमजोर वर्गों जैसे कि अ.जा./ अ.ज.जा./ दिव्यांगजन के आवेदकों को 2.5 लाख रुपए तक की प्रोत्साहन राशि के अंदर 50,000 रुपये मूल्य की दवाइयां अग्रिम रूप से प्रदान करना।

\*\*\*\*\*